

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 638/ इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2009-10

श्री दिनेश पाराशर, देवास	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एचवाईपीपी 3196 के		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एस.देशपांडे, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्रीमती अशिमा गुप्ता, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	19.08.2020
उद्घोषणा तिथि	19.08.2020

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन के आदेश दिनांक 19.03.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 18.08.2020 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती आवेदन में वर्णित कारण से वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । अतः उसने इस अपील को वापिस लेने की

अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 19.08.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 19.08.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल